उत्तर प्रदेश प्रदूषण निय[ंत्र]ण बोर्ड, वाराणसी

UTTAR PRADESH POLLUTION C[ON]TROL BOARD, VARANASI

(गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्द[ौली, स]न्तरविदास नगर [भदोही])

संदर्भ सं0 | दिनांक
Ref. 2281/ भण्डारण / 17-18 | Date 07.3.2018

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

विषयः **चीफ डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, मेसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी डिवीजनल ऑफिस, एन.एच.–31, बाबतपुर रोड, पोस्ट–हरहुआ, वाराणसी के पत्र दिनांक 26.02.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने आराजी नं0–2638 स्थित ग्राम–मथिया, भीखपुर, थाना–मुँगराबादशाहपुर, (मुँगराबादशाहपुर–इलाहाबाद रोड) तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर (उ0प्र0) पर रिटेल आउटलेट डीलरशिप, पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति सम्बन्धी जांच आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 1270(5)/श0लि0–जौनपुर दिनांक 05.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मेसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी डिवीजनल ऑफिस, एन.एच.–31, बाबतपुर रोड, पोस्ट–हरहुआ, वाराणसी के पत्र दिनांक 26.02.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उनेंने आराजी नं0–2638 स्थित ग्राम–मथिया, भीखपुर, थाना–मुँगराबादशाहपुर, (मुँगराबादशाहपुर–इलाहाबाद रोड) तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर (उ0प्र0) पर रिटेल आउटलेट डीलरशिप पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु चाही गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में इस कार्यालय से अनापत्ति आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रस्तावित स्थल पर्यावरर्णीय दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है। प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते समय निम्नलिखित शर्तो को आरोपित करते हुए अनापत्ति निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं हैं:–

1. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना इस प्रकार से किया जाये, जिससे कि आस–पास के पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
2. पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू–भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
3. पेट्रोलियम पर्दाथ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निशमन विभाग के गाईड लाईन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आप–पास आबादी विकसित होने पर रोक लगायी जाये।
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
5. घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप जनित होने वाले बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट की व्यवस्था स्थापित की जाये।
6. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।

...2/–

राहुल दीक्षित/Rahul Dixit
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबन्धक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
8.3.18

7. पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
8. पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्डस वेस्ट (मैनेजमेन्ट, हैन्डिलिंग एण्ड ट्रान्स बाउन्ड्री मूवमेन्टस) रूल्स, 2008(यथासंशोधित) तथा मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट आफ हैजार्डस केमिकल रूल्स, 1989 एवं पब्लिक लाइबिलिटी इन्श्योरेन्स एक्ट, 1991 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
9. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 20 किलोलीटर पेट्रोल (एम.एस.) एवं 20 किलोलीटर डीजल ऑयल(एच.एस.डी.) के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
10. पेट्रोल पम्प द्वारा जिला प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से लाइसेन्स/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
11. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये।
12. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये।
13. प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का वायु प्रदूषणकारी स्त्रोत स्थापित न की जाये।
14. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू-प्रयोग 143-जेड.ए. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर भू-प्रयोग प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
15. पेट्रोल पम्प द्वारा सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी से आन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
16. पेट्रोल पम्प की स्थापना भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रदत्त मैप के ले-आउट प्लान के अनुसार की जाये।
17. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाये।
18. पेट्रोल पम्प द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु डी0 जी0 सेट की स्थापना किये जाने की दशा में ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कैनोपी/एकास्टिक इन्क्लोजर व साइलेन्सर की व्यवस्था स्थापित करने के साथ गैसीय उत्सर्जन हेतु डी0जी0सेट के एक्झास्ट पर निकटतम भवन छत से 0.2√ के.वी.ए. मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किया जाये।
19. पेट्रोल पम्प पर आने वाले वाहनो के पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि मार्ग का सामान्य यातायात बाधित न हो।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

7/3/18
(डॉ0 अनिल कुमार सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी)

20/04/18

राहुल दीक्षित/Rahul Dixit
मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबन्धक
Chief Divisional Retail Sales Manager
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
वाराणसी मंडल कार्यालय
Varanasi Divisional Office
वाराणसी-221105/Varanasi-221105